बेघरों को ठण्ड से बचाने के लिए शरण स्थल उपलब्ध कराने का अदालती फ़रमान

हम इस फ़रमान का स्वागत करते हैं और अनुरोध करते हैं कि

उत्तराखण्ड व जम्मूं कश्मीर की सरकारों को भी यह आदेश जारी किया जाए

सर्दियों का मौसम शुरु होने से ज़रा पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर भारत की पांच राज्य सरकारों (दिल्ली, यूपी, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश) को यह आदेश दिया है कि वे बेघर लोगों के लिए पर्याप्त संख्या में शरण स्थलों का निर्माण करें। राज्य सरकारों को कड़ी चेतावनी देते हुए चीफ़् जस्टिस की अध्यक्षता वाली बैंच ने कहा है कि अगर राज्य सरकारें सर्दी शुरू होने से पहले यह शरण स्थल बनाने में असफ़ल रहीं तो उन्हें इसका ख़मियाज़ा भुगतना होगा। बैंच ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि "अगर शऱण स्थल तैयार नहीं हुए तो हम आप के साथ कठोर मामला करेंगे।" इस कृपा और दयालुता के लिए पूरे राष्ट्र के साथ मैं भी सुप्रीम कोर्ट को सलाम पेश करता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है जिस में सरकारों को बेघरों के लिए शरण स्थल बनाने का आदेश देने की अपील की गयी थी क्योंकि सर्दी की मार से बहुत से बेघर लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। बैंच ने कहा है कि अदालत की तरफ़ से यह देखने के लिए कमिशनरों को भेजा जाएगा कि बेघर लोगों के लिए रात बिताने के शरण स्थल बनाए गए या नहीं। माननीय अदालत ने इस से पहले भी बेघर लोगों को आसरा होम उपलब्ध कराने के लिए निर्देशों की एक श्रंखला जारी की थी और कहा था कि शरण स्थल प्राप्त करना हर देशवासी का मौलिक अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि किसी सरकार के लिए इस से ज़्यादा महत्वपूर्ण काम कोई नहीं हो सकता कि वह लाचार, असहाय लोगों के जीवन को सुरक्षा उपलब्ध कराए। कड़ी ठण्ड में जान का ख़तर सबसे अधिक महत्वपूर्ण मामला है, विशेष रूप से उत्तर भारत में।

दूसरी तरफ़, हम इस बात से अच्छी तरह अवगत हैं कि उत्तर भारत का सर्वाधिक ठण्डा क्षेत्र कशमीर घाटी है और दूसरा सबसे अधिक ठण्ड़ वाला क्षेत्र उत्तराखण्ड है। जिस समय मैं यह लेख लिख रहा हूं तो श्रीनगर का औसत तापमान लगभग 16 डिग्री सेलिसियस है, जो कि उत्तर भारत के किसी भी राज्य की राजधानी से कम है। जबकि दिसम्बर-जनवरी में, दुनिया भर के मौसम का हाल बताने वाले पोर्टल AccuWeather.Com के अनुसार, कशमीर घाटी का तापमान 8-3

डिग्री के बीच रहता है। इसकी अपेक्षा मसूरी और शिमला का औसत तापमान अभी 19 ड़िग्री है और दिसम्बर-जनवरी में यह प्रायः 15-10 डिग्री के बीच रहता है। उत्तराखण्ड का मौसम भी सर्दियों में हिमाचल प्रदेश की तरह ही रहता है, जबकि कशमीर के बाद यह दोनों राज्य सर्वाधिक ठण्ड वाले राज्य हैं। कहने की ज़रूरत नहीं कि उत्तराखण्ड और हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) जम्मूं कशमीर से लगभग दो गुणा अधिक है। साथ ही सर्दियों में दिल्ली, यूपी, राजस्थान और हरियाणा में तापमान कशमीर के तापमान से 15 डिग्री उपर रहता है और हिमाच प्रदेश व उत्तराखण्ड का तापमान 7 डिग्री से अधिक उपर।

इसके अतिरिक्त, जम्मूं कशमीर हाल ही में बाढ़ की आपदा से प्रभावित हुआ है जिसकी वजह से वहां जीवन ठहर कर रह गया है और लोगों के घर, बिस्तर, कम्बल, रज़ाइयां वग़ैरह सब कुछ तबाह हो गए हैं। इस पर विडम्बना यह कि राज्य और केन्द्र सरकारों के ध्यान और संसाधनों की दिशा अब राज्य विधान सभा के चुनावों की ओर हो गयी है, हालांकि इन चुनावों को ठण्ड का मौसम बीत जाने तक टाल दिया जाना चाहिए था।

अतएव, ठण्ड शुरू हो जाने और कड़ी ठ्ण्ड में बहुत कम समय रह जाने के देखते हुए हम माननीय सुप्रीम कोर्ट से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करते हैं कि कृपया इस लेख को जनहित की एक याचिका (पीआईएल) के रूप में लिया जाए और (1) जम्मूं व कश्मीर और उत्तराखण्ड को भी उऩ राज्यों की सूची में शामिल किया जाए जिन्हें अदालत की ओर से ज़रूरतमन्द लोगों के लिए शरण स्थल बनाने का आदेश दिया गया है, (2) अदालत की ओर से जम्मूं व कश्मीर और केन्द्र की सरकारों को यह निर्देश जारी किया जाए कि वे न केवल छायाग्रह उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें बल्कि साथ ही साथ गर्म बिस्तर, गर्म कपड़े (फ़्रन वग़ैर) और दूसरे मूल आवश्यकता की वस्तुएं कशमीर के उन हज़ारों लोगों को उपलब्ध कराएँ जो बाढ़ के कारण इऩ तमाम आवश्यक वस्तुओं से वंचित हो गए हैं, (3) अधिकारियों को यह निर्देश जारी किया जाए कि वे सैकड़ों भवन जो सर्दियों के मौसम में, सरकारी राज्य दरबार जम्मूं स्थानान्तरित हो जाने की वजह से, ख़ाली पड़े रहते हैं उन्हें घाटी के ऐसे लोंगों को सिर छुपाने के लिए उपलब्ध कराया जाए जिन्हें गर्म शरण स्थल उपलबध न हो सकें, और (4) मानवीय हित के इन आदेशों को लागू कराने के लिए चुनाव आयोग को यह आदेश दिया जाए कि अप्रेल 2015 तक चुनाव स्थगित रखे जाएं।

(लेखक ज़कात फ़ाउण्डेशन आफ़ इण्डिया के अध्यक्ष हैं, उऩसे info@zakatindia.org पर सम्पर्क किया जा सकता है।)